बाहर के व्यापारियों को यूपी में कारोबार के लिए लाइसेंस मिलेगा

- मंडी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी
- यूपी के व्यापारी भी दूसरे राज्यों में जाकर कारोबार कर सकेंगे

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। कैबिनेट ने ई-नाम योजना जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के बाहर के व्यापारियों को भी यूपी में कारोबार के लिए मंडी एक्ट में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे अब प्रदेश के बाहर के व्यापारी भी यहां का लाइसेंस लेकर प्रदेश के किसानों के साथ कारोबार कर सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी नियमावली को संशोधित कर अब उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी नियमावली-2023 प्रख्यापित किया जा सकेगा।

इसमें बाहरी व्यापारियों को एक विशेष सुविधा यह होगी कि अगर वे दूसरे प्रदेश में पंजीकृत होंगे या लाइसेंसधारी होंगे तो उस आधार पर ही बिना किसी अन्य कागजात के यूपी में लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। यह व्यवस्था पारस्परिक होगी, अर्थात उत्तर प्रदेश के व्यापारी भी अन्य प्रदेशों में अपने कृषि उत्पादों का क्रय-विक्रय कर सकेंगे। प्रदेश में स्थानीय व्यापारियों को यूपी की मंडियों में कारोबार के लिए पहले लाइसेंस लेना होता है। संशोधित नियमावली के बाद बाहरी व्यापारियों को उनके गृह राज्य के लाइसेंस के आधार पर ही यूपी का भी लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। दूसरे राज्यों के व्यापारियों को यूपी का तथा यूपी के कारोबारियों को दूसरे राज्यों का लाइसेंस प्राप्त हो जाने से कृषिकों को राष्ट्रीय बाजार मिलेगा।